



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर म.प्र.

ब्लॉक- 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)

Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981



क्रमांक 1306 / नगानि / 17 / JBLLP3466 / एल / 06 / 16.03.2017

दिनांक 04 / 05 / 2017

प्रति,

मेसर्स यश बिल्डर्स श्री संजय खेता
दुबे कन्सट्रक्शन श्री अजय दुबे एवं श्री रोहित तिवारी,
निवासी- 163 आदर्श नगर नर्मदा रोड
जबलपुर, म.प्र.

विषय:- ग्राम कछपुरा के पटवारी हल्का नंबर 25/31 नं.बं. 501 खसरा क्रमांक 716/2, 719/4, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/1, 728/1, 729/1, 730/1, 731/1, 732, 733, 734, 735, 736/1 कुल रकबा 1.602 हैक्टेयर भूमि पर अनुज्ञा बावत।

संदर्भ:- आपका ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2017 एवं पत्र दिनांक 18.04.2017 व अन्य।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार लेख है, कि आवेदक मेसर्स यश बिल्डर्स श्री संजय खेता दुबे कन्सट्रक्शन, श्री अजय दुबे निवासी एवं श्री रोहित तिवारी, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत सत्यापित भूमि स्वामित्व दस्तावेजों व शपथ पत्रों के अनुसार ग्राम कछपुरा के पटवारी हल्का नंबर 25/31 नं.बं. 501 खसरा क्रमांक 716/2, 719/4, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/1, 728/1, 729/1, 730/1, 731/1, 732, 733, 734, 735, 736/1 कुल रकबा 1.602 हैक्टेयर भूमि जो कि जबलपुर विकास योजना 2021 के अनुसार आवासीय भू उपयोग एवं तालाब से लगकर प्रस्तावित वृक्षारोपण भू-उपयोग निर्दिष्ट है आवेदक द्वारा आवासीय भू-उपयोग में आवासीय बहुईकाई एवं तालाब से लगकर प्रस्तावित वृक्षारोपण भू-उपयोग में वृक्षारोपण के विकास अनुज्ञा हेतु धारा 29(1) में आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन में दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण आवेदक के वास्तुविद् श्री अनुराग श्रीखण्डे की उपस्थिति में वास्तुविद् द्वारा बताये गये स्थल का निरीक्षण कार्यालय के श्री राजेश दीवान (स.मा.चि) द्वारा किया जाकर प्रतिवेदित किया गया कि विषयांकित भूमि वर्तमान में रिक्त भूमि है तथा पश्चिम दिशा में स्थित तालाब होने पर म0प्र0 राजपत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2015 में विकास योजना उपांतरण प्रस्ताव अनुसार स्थित तालाब की परिधि में 30.0 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जायेगा जिसमें अधोसंरचना से संबंधित विकास केवल किया जा सकता है प्रावधानित है। जबलपुर विकास योजना-2021 में प्रश्नाधीन भूखण्ड के सामने स्थित मार्ग की चौड़ाई के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु इस कार्यालय के द्वारा जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक-06 में उक्त मार्ग को 24.0 मीटर प्रस्तावित कर अनापत्ति प्रदान की गयी थी वर्तमान में प्रस्ताव अनुसार भूमि के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 24.0 मीटर प्रस्तावित कर आवेदकगणों द्वारा आवासीय बहुईकाई प्रयोजन हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-29(1) के तहत आवेदन में संलग्न सत्यापित स्वामित्व दस्तावेजों (खसरा पांच साला एवं विक्रय पत्र) शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 18.02.2017 को प्रस्तुत किया गया है साथ ही जबलपुर विकास प्राधिकरण के अनापत्ति पत्र क्रमांक 782 दिनांक 25.10.2016 अनापत्ति व न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कोतवाली जबलपुर के राजस्व आवेश अनुवृत्ति पत्र प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2016-17 के द्वारा सीमांकन आदेश व सीमांकन मानचित्र प्रस्तुत किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग कोतवाली, जबलपुर के अनापत्ति प्रकरण क्रमांक 0074 / सी-121 / 15-16 दिनांक 23.09.2016 अनापत्ति व अन्य प्रपत्र एवं म.प्र. पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक 107 दिनांक 01.02.2017 अनापत्ति एवं अन्य प्रपत्र नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त

Signature Not Verified
Digitally signed by neeraj anand
likhan
Date: 2017.05.04 20:42:08 IST

क्रमांक 37 दिनांक 26.11.2014 द्वारा विषयांकित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया है।

आवेदित भूमि विकास योजना प्रावधानों के अन्तर्गत आवासीय भूमि उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय बहुईकाई एवं तालाब से लगकर प्रस्तावित वृक्षारोपण भू-उपयोग में वृक्षारोपण प्रावधानित होने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदित प्रस्ताव जो कि अंगीकृत जबलपुर विकास योजना में प्रावधानित होने से म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30(1)(ख) के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 2(5)(क) एवं नियम 27 के अधीन प्रस्तुत स्थल मानचित्र अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से विकास निर्माण अनुज्ञा से पूर्व अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172

ब. म0प्र0 नगर पालिक अधिनियम-1956 (क्रं.-23 सन्-1956)

स. नजूल विभाग जबलपुर

द. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. विषयांकित भूमि के सामने मुख्य मार्ग (गौतम जी की मढ़िया से शाही नाका) की चौड़ाई 24.0 मीटर प्रस्तावित उक्त मार्ग के मध्य से 12.0 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा, तथा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। स्थल पर निर्माण/विकास किये जाने के पूर्व आवेदक को सक्षम प्राधिकारी एवं इस कार्यालय के मार्गदर्शन में सम्मुख मार्ग का सीमांकन कराना होगा। सीमांकन के पश्चात् अधिक भूमि उपलब्धता होने पर तदनुसार चौड़ाई जो अधिक होगी छोड़ना होगी।

3. स्थल पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण करने के पूर्व आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि का राजस्व संहिता की धारा 1959 धारा 165 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 172 के अन्तर्गत भू व्यपवर्तन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

4. विषयांकित भूमि आवेदक द्वारा प्रावधानित प्रस्ताव के क्रियान्वयन के समय म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-38 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी भवन अथवा भूमि पर पहुंच प्राप्त करने वाले मार्ग या पहुंच मार्ग हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।

5. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीरिंग निबन्धन तथा शर्तें नियम-1998) प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म0प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीरिंग निबन्धन तथा शर्तें नियम-1998) के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 19.04.2012 के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में व्ययित विकल्प के प्रस्ताव अंकित किये गये हैं इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने के दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by neeraj anand
Date: 2017.05.04 20:42:08 IST

- अनुज्ञा जारी की जावे। तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन हो तो विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावे।
6. आवेदकों समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 एवं रियल स्टेट रेगुलेटरी कोष नियम-2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
 7. अनुमोदन अनुसार निर्दिष्ट भूखण्डों का विक्रय के दौरान विक्रय पत्र में प्रदत्त विकास अनापत्ति का क्रमांक व दिनांक तथा परियोजना का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।
 8. विषयांकित भूमि पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित लोकल शॉप मानचित्र में दर्शाये अनुसार ही मान्य होगा।
 9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नियम-47 (सामुदायिक खुले स्थान तथा सुविधायें) के अंतर्गत अभिन्यासित क्षेत्र का 10 प्रतिशत खुले स्थान संबंधी प्रावधान नियम-62(4) के अंतर्गत पोलियम पर भी प्रावधानित किया गया है। जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा जारी किय जाने के पूर्व भवन संरचना मानचित्र पर विश्लेषण व गणना पश्चात किया जाना आवश्यक होगा। उक्त सामुदायिक खुले स्थानों पर गणना पश्चात कमी आती है तो आवेदक को पुनः इस कार्यालय से त्रुटि सुधार कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
 10. भू-व्यपवर्तन के पश्चात संलग्न अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में वर्णित प्रावधानों के पालन कराने की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होगी।
 11. अनुज्ञा की शर्त क्रमांक-02 अनुसार मार्ग मध्य से 12.0 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखने के पश्चात् संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये यह सुनिश्चित भवन अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।
 12. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 13. आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा सहित प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर स्थल में विसंगति आदि उत्पन्न होने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाकर आवेदक की ही जिम्मेदारी मानी जावेगी तथा भूमि सीमा या भूमि स्वामित्व से संबंधित विवाद की संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 14. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 86-अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87-अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होने पर अपेक्षाएं प्रावधान अनुसार निर्धारित आवेदक द्वारा की जावेगी तथा नियम-88-के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन आवेदक का दायित्व होगा। जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही नियम-42 के तहत भवन तथा उसके चारों ओर खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग दमकल के भार को सहन करने योग्य ठोस सतह होगी। साथ ही अन्य की भूमि पर पहुंच मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।
 15. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-52 के अनुसार विद्युत लाईन संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा।
 16. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन एण्डानी हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के लिख दिया जा सकेगा।

17. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
18. प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्य में विसंगति होने या पाये जाने आवेदक को प्रदाय की गई अनुज्ञा पर नियम-25 के तहत व उनके वास्तुविद के विरुद्ध नियम-26 के तहत जारी अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद की होगी।
19. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा स्वयं को करना होगा।
20. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-76 अनुसार तलघर का विकास निर्धारित प्रावधानों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुरूप केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जावेगा तत्पश्चात ही भवन अनुज्ञा पर कार्यवाही की जा सकेगी। किसी भी प्रकार से निर्धारित खुले क्षेत्रों में वाहन पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगा।
21. इस मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यपवर्तन व कालोनाईजर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
22. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिका निगम, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी। एस.टी.पी. का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप आपके एवं आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
23. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
24. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 के परिशिष्ट-अ-1 एवं अ-2 के प्रावधानों अनुसार अतिशेष व अतिरिक्त अन्य वाहनों हेतु पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग, मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रावधान को योजना में नियमानुसार क्रियान्वित कराये जाने का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन के आंतरिक प्रस्ताव अनुमोदित किये जा सकेंगे।
25. यह अनुज्ञा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार 03 वर्ष हेतु विधिमान्य रहेगी।
26. प्रस्तावित आवासीय भू उपयोग परिक्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण संलग्न मानचित्र में दर्शित प्रयोजन के विकास हेतु अनुमोदित स्थल मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल

Signature Not Verified
Digitally signed by neeraj anand
Date: 2017.05.04 20:42:08 IST

की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।

27. यह अनुज्ञा जबलपुर विकास योजना-2021 म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियोजन की दृष्टि से दी गई है। भू-स्वामित्व की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई, जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर या आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर यह स्थल अनुमोदन म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के तहत प्रतिसंहरित कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।

संलग्न:- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर, म0प्र0

पृ0 कमांक 130770/311 / नग्रानि / 17 / JBLLP3466 / एल / 06 / 16.03.2017
प्रतिलिपि:-

दिनांक 04/05/2017

1. आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों का आवेदक से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयनगर जबलपुर।
4. नजूल अधिकारी जबलपुर।
5. तहसीलदार जिला जबलपुर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

संलग्न:- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर, म0प्र0

Signature Not Verified
Digitally signed by neeraj anand
likhar
Date: 2017.05.04 20:42:08 IST